

[2023] 5 एस सी आर 354

श्री गुलाम मुस्तफा

कर्नाटक राज्य और वगैरह

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1452)

10 मई, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.]

न्याय प्रशासन- विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग- भूमि से संबंधित दीवानी विवाद को आपराधिकता का रंग दिया गया - निर्णीत किया गया - प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद शुरू करने में 60 वर्षों से अधिक की अस्पष्टीकृत देरी हुई - दीवानी मुकदमों में राहत प्राप्त करने में विफलता के बाद ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 एवं उसके परिवार के सदस्यों को अंतरिम राहत से इनकार के साथ इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही गुप्त उद्देश्यों, परोक्ष कारणों और प्रतिशोध के लिए बहाल की गई । इसके अलावा, भले ही आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए, अपीलार्थी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है - उच्च न्यायालय ने कहा किशिकायत और प्राथमिकी तुच्छ, परेशान करने वाली और दमनकारी हैं- उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल न करके गलती की.- आक्षेपित निर्णय निरस्त किया गया - अपीलार्थी से संबंधित एफ. आई. आर. और उससे निकलने वाली किसी भी कार्यवाही को

रद्द कर दिया गया - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 कि धारा 482, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989- दंड संहिता, 1860

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 - प्राथमिकी को रद्द करना- चर्चा का क्षेत्र

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 - प्राथमिकी को रद्द करना- चर्चा का क्षेत्र - निर्णीत किया गया - केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत आता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 या धाराओं के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा। 482 , सी. आर. पी. सी.-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

न्याय प्रशासन-आपराधिक न्याय प्रशासन - एफ. आई. आर.- कठोर कानूनों के प्रावधान का आह्वान - अधिकारियों का कर्तव्य- अवधारित किया गया -जो अधिकारी किसी भी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हैं, वे किसी भी प्रावधान को लागू करने से पहले सतर्क रहने का कर्तव्य से बंधा है जैसे एससी/एसटी अधिनियम की तरह कठोर कानून, जो संबंधित अभियुक्तों-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर गंभीर दंडात्मक परिणाम लागू करता है अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-आपराधिक कानून।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अवधारित किया : 1.1 केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या संहिता की धारा 482 के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से बाधित नहीं करेगा। [पैरा 34] [369-सी-डी]

1.2 एफआईआर को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए है और पुलिस को आमतौर पर जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सामान्य नियम है, लेकिन उचित मामले में इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पर कोई बंधन नहीं है। [पैरा 35] [370-डी-ई]

पुलिस अधीक्षक सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह, (2003) 6 एससीसी 175: [2003] 3 एससीआर 485; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एससीसी 324: [2011] 4 एससीआर 1176 - पर आधारित ।

1.3 यह न्यायालय ऐसे मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा है जहां भूमि और/या धन से संबंधित विशुद्ध रूप से सिविल विवादों को आपराधिकता का रंग दिया जाता है, केवल संबंधित पक्ष पर न्यायेतर दबाव डालने के उद्देश्य से, जो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद शुरू करने में 60 साल से अधिक की भारी और अस्पष्ट देरी हुई है, और आपराधिक मामला केवल सिविल मुकदमों में राहत प्राप्त करने में विफलता के बाद दर्ज किया गया है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 को उसके परिवार के सदस्यों को अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि अब आपराधिक कार्यवाही का सहारा लिया जा रहा है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में, परोक्ष कारणों से गुप्त उद्देश्यों के साथ है और प्रतिशोध का एक स्पष्ट मामला है। यहां तक कि अगर आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाता है, तो यह समझ में नहीं आता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। शिकायत और एफआईआर तुच्छ, कष्टप्रद और दमनकारी हैं। [पैरा 36, 37] [370-E-H] श्री गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य और उत्तर प्रदेश। ए बी सी डी ई एफ जी एच 356 सुप्रीम कोर्ट

1.4 किसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे एससी/एसटी अधिनियम जैसे बहुत कड़े कानून के किसी भी प्रावधान को लागू करने से पहले सतर्क रहें, जो संबंधित अभियुक्त पर गंभीर दंडात्मक परिणाम लागू करता है। अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि वह जिन प्रावधानों को लागू करना चाहता है, वे प्रथम दृष्टया मामले पर लागू होते हैं। [पैरा 38] [371-ए-बी]

1.5 उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करके गलती की। विवादित निर्णय, कानून में

असमर्थनीय होने के कारण, रद्द किया जाता है। एफआईआर, और उससे निकलने वाली किसी भी कार्यवाही, जहां तक वे अपीलकर्ता से संबंधित हैं, को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। [पैरा 39] [371-सी-डी]

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 सुप्य (1) एससीसी 335: [1990] 3 सपल एससीआर 259; एस डब्ल्यू पलानितकर बनाम बिहार राज्य (2002) 1 एससीसी 24; कर्नाटक राज्य बनाम एम देवेंद्रप्पा (2002) 3 एससीसी 89: [2002] 1 एससीआर 275; उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य (2005) 10 एससीसी 336; पर्वतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641: [2017] 10 एससीआर 12; तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779: [2017] 1 एससीआर 141; विनोद नटेशन बनाम केरल राज्य (2019) 2 एससीसी 401; कमल शिवाजी पोकरनाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 14 एससीसी 350; महेंद्र के सी बनाम कर्नाटक राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1021; अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 2 एससीसी 427; निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315; रामअवतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 966 पर भरोसा किया गया।

गोविंद प्रसाद केजरीवाल बनाम बिहार राज्य (2020) 16 एससीसी 714; पुलिस आयुक्त वी देवेंद्र आनंद 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 966; बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 10 एससीसी 663: [2014] 11 एससीआर 85; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (2006) 6 एससीसी 736: [2006] 3 सपल एससीआर 704; जी सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) 2 एससीसी 636: [2000] 1 एससीआर 417; मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र कोरी (2012) 10 एससीसी ए बी सी डी ई एफ जी एच 357 155 : [2012] 8 एससीआर 858; दिनेशभाई चंदूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2018) 3 एससीसी 104: [2018] 1 एससीआर 62; सतविंदर कौर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) (1999) 8 एससीसी 728: [1999] 3 खुली एससीआर 348; पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2019) 9 एससीसी 24: [2019] 12 एससीआर

172; स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 5 एससीसी 795; भारत संघ बनाम प्रकाश पी हिंदुजा (2003) 6 एससीसी 195: [2003] 1 सपल एससीआर 307 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस

[2014] 11 एससीआर 85	संदर्भित	पैरा 15
[2006] 3 सपल एससीआर 704	संदर्भित	पैरा 15
[2000] 1 एससीआर 417।	संदर्भित	पैरा 15
[2012] 8 एससीआर 858।	संदर्भित	पैरा 21
[2018] 1 एससीआर 62।	संदर्भित	पैरा 21
[1999] 3 सपल एससीआर 348।	संदर्भित	पैरा 21
[2019] 12 एससीआर 172।	संदर्भित	पैरा 21
[2003] 1 सपल एससीआर 307।	संदर्भित	पैरा 21
[2003] 3 एससीआर 485।	इस पर भरोसा किया	पैरा 22
[2011] 4 एससीआर 1176।	इस पर भरोसा किया	पैरा 22
[1990] 3 सपल एससीआर 259।	इस पर भरोसा किया	पैरा 26
[2002] 1 एससीआर 275।	इस पर भरोसा किया	पैरा 28
[2017] 10 एससीआर 12।	इस पर भरोसा किया	पैरा 30
[2017] 1 एससीआर 141	इस पर भरोसा किया	पैरा 30

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1452

2019 के सीआरएलपी संख्या 3788 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 23.02.2021 के फैसले और आदेश से।

देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, निजाम पाशा, लजाफीर अहमद बी.एफ., सिद्धार्थ कौशिक, शिवेंद्र पांडे, राजेश इनामदार, अनुभव कुमार, इस्माइल जबीउल्ला, अपीलकर्ता के वकील।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला द्वारा सुनाया गया

अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के वकील को सुना।

2. अनुमती प्रदान कि गई ।

3. वर्तमान आपराधिक अपील को कर्नाटक उच्च न्यायालय (जिसे बाद में "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा बेंगलुरु में दिए गए अंतिम निर्णय और आदेश (इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई 2019 की आपराधिक याचिका संख्या 3788 को खारिज कर दिया था।

वास्तविक प्रिज्म:

4. अपीलकर्ता जीएम इनफिनिट डवेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "जीएमआईडी" के रूप में संदर्भित) का प्रबंध निदेशक है, बताया जाता है कि कंपनी आवासीय संपत्तियों के विकास में लगी हुई है। उक्त कंपनी और बेंगलुरु जिले के जोड़ी मल्लसंद्रा गांव में सर्वे नंबर 83 वाली भूमि के मालिकों (श्री ए हफीज खान के उत्तराधिकारी) ने 17.08.2009 को एक संयुक्त विकास समझौता (इसके बाद "जेडीए" के रूप में संदर्भित) किया। वर्ष 2017 में, जेडीए के तहत अपेक्षित अपार्टमेंट परियोजना पूरी हो गई और आवंटियों के पक्ष में बिक्री कार्य निष्पादित किए गए।

5. भूमि के मूल मालिकों ने उक्त भूमि के संबंध में बिक्री विलेख रखने के आधार पर शीर्षक का दावा किया; दिनांक 09.07.1961 के केस नंबर 86/1959-60 में विशेष उपायुक्त, इनाम ्स एबोलिशन, बेंगलोर का आदेश; श्री ए हफीज खान के उत्तराधिकारियों के नाम पर उत्परिवर्तित संपत्ति को दर्ज करने वाले राजस्व रिकॉर्ड और सर्वेक्षण संख्या 83/1 और 83/2 [(पुराना सर्वेक्षण संख्या 8) नया सर्वेक्षण संख्या 83] दिया गया है। जेडीए के अनुसरण में, भूमि-मालिकों ने भूमि-उपयोग को कृषि से गैर-कृषि में बदल दिया और इसमें शामिल विभिन्न विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, निर्माण शुरू होने से पहले बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (जिसे बाद में "बीबीएमपी" कहा जाता है) से स्वीकृत नक्शा और भवन लाइसेंस प्राप्त किया।

6. यह पता चला है कि स्वर्गीय बिलप्पा का पुत्र वेंकटेश पुराने सर्वेक्षण संख्या 83 का मालिक था और उसकी संपत्ति को नए सर्वेक्षण संख्या 80/1 और 80/3 सौंपे गए थे, और इस तरह के बदलाव के कारण, भूमि के संबंध में नए सर्वेक्षण संख्या 83 के साथ, उक्त वेंकटेश ने नए सर्वेक्षण संख्या 83 के तहत भूमि पर स्वामित्व का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक सिविल मुकदमेबाजी हुई जिसमें विशेष तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन शामिल था; सहायक आयुक्त, बेंगलोर, उत्तर उप-प्रभाग के समक्ष अपील, और; विशेष उपायुक्त के समक्ष अपील - जो सभी वेंकटेश के खिलाफ गए।

7. लेकिन वह सब नहीं है। दो मुकदमे भी थे - एक वैध भूमि-मालिकों द्वारा दायर किया गया था, जो निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था, और एक (जिसे हमें ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है) वेंकटेश द्वारा दायर एक तुच्छ मुकदमा। वेंकटेश के मुकदमे से कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने अन्य लोगों के साथ उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, वेंकटेश ने बीबीएमपी के अतिरिक्त निदेशक, टाउन प्लानिंग के समक्ष भी एक आवेदन किया और स्वीकृत योजना को रद्द कर दिया। जीएमआईडी ने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष रद्दीकरण को लागू किया, जिसे जीएमआईडी और मालिकों को बीबीएमपी की अपील समिति से संपर्क करने का निर्देश देते हुए निपटा दिया गया। ऐसा करने पर, बीबीएमपी की अपील समिति ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और स्वीकृत योजना को बहाल कर दिया।

8. निर्माण शुरू हुआ और जीएमआईडी द्वारा अपार्टमेंट के संभावित खरीदारों के साथ बिक्री समझौते में प्रवेश करने के बाद, वेंकटेश ने अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की और अपने सहयोगियों के माध्यम से, जिनमें से एक, अर्थात् पार्वती रेड्डी को वेंकटेश द्वारा दायर सिविल मुकदमे में भी शामिल किया गया था। एक अन्य सिविल मुकदमा ओ.एस. संख्या 8163/2016 अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि-मालिकों और बिल्डरों के खिलाफ भी दायर किया गया है, जो आज की तारीख में अभी भी लंबित है। जबकि इन सिविल मुकदमों का विभिन्न अदालतों में जीएमआईडी और मूल मकान मालिकों द्वारा बचाव किया जा रहा था, वादी की मां द्वारा ओएस नंबर 8163/2016 में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी, 406, 419, 468, 471, 420, 448, 427 के साथ धारा 34 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। इसे बागलगुंटे पुलिस स्टेशन, बेंगलूर शहर (इसके बाद "एफआईआर" के रूप में संदर्भित) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद "एससी एसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और धारा 427, 420, 419, 406, 471, 471, 468 के तहत अपराध संख्या 317/2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में बदल दिया गया। आईपीसी की धारा 448 और 120 बी। जीएमआईडी के प्रबंध निदेशक, अर्थात् गुलाम मुस्तफा, हमारे समक्ष अपीलकर्ता, को एफआईआर में आरोपी नंबर 18 के रूप में रखा गया है।

9. जहां तक भूमि पर विकास का संबंध है, अपीलकर्ता के वकील ने कहा है कि 2017 में, अपार्टमेंट का निर्माण पूरा हो गया था, संबंधित आवंटियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किए गए थे, और ये आवंटि उसके बाद अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं।

10. अपीलकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 28.05.2019 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) के तहत एक याचिका दायर की। उक्त याचिका को 2019 की आपराधिक याचिका संख्या 3788 नंबर दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने 07.08.2019 के आदेश द्वारा, नोटिस जारी करते हुए, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध था, एफआईआर में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि, 2019 की आपराधिक याचिका संख्या 3788 को अंततः 23.02.2021 को खारिज कर दिया गया, जिससे तत्काल अपील की स्थापना हुई।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुतियां:

11. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, यह मामला विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है क्योंकि यह उस भूमि के शीर्षक से संबंधित सवाल उठाता है जिस पर जीएमआईडी ने जेडीए में प्रवेश किया था और कानून में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपार्टमेंट का निर्माण किया था।

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि एक नहीं बल्कि राजस्व अधिकारियों, बीबीएमपी आदि सहित कई प्राधिकरणों ने निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति दी थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रारंभिक सिविल मुकदमा भी मूल भूमि-मालिकों के पक्ष में तय किया गया था, जिनके साथ जीएमआईडी ने जेडीए पर हस्ताक्षर किए थे।

13. वकील ने कहा कि एफआईआर के परिणामस्वरूप शिकायत वेंकटेश के इशारे पर की गई थी, जिसने शरारतपूर्ण तरीके से अपनी जमीन की पुरानी सर्वेक्षण संख्या और इसमें शामिल भूमि की नई सर्वेक्षण संख्या में समानता का लाभ उठाते हुए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब पुलिस के समक्ष प्रारंभिक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, तब भी जीएमआईडी को आरोपी नंबर 19 के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एफआईआर में, अपीलकर्ता को आरोपी नंबर 18 के रूप में नामित करके इसमें पक्षकार बनाया गया था।

14. यह प्रस्तुत किया गया था कि एफआईआर प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है क्योंकि यह उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा दायर की गई है, जो मूल भूमि-मालिकों के खिलाफ विभिन्न कार्यवाही में असफल रहा था और बिल्डर (जीएमआईडी), जहां वे सफल नहीं हो सके और यही कारण है कि वेंकटेश ने अपनी अनपढ़ मां पर झूठे आरोप लगाते हुए झूठी और तुच्छ शिकायत दर्ज कराई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के संदर्भ में अंतिम रूप ले चुका है और इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि एससी/ [एसटी अधिनियम](#) लाने के आरोप भी जानबूझकर और गलत इरादे से लगाए गए थे।

15. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने दबाव डालने और नागरिक विवादों को निपटाने के लिए झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने की प्रथा की बार-बार निंदा की है। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने गोविंद प्रसाद केजरीवाल बनाम बिहार राज्य, (2020) 16 एससीसी 714 पर भरोसा किया; पुलिस आयुक्त बनाम देवेन्द्र आनंद, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 966; बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 10 एससीसी 663; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, (2006) 6 एससीसी 736 और जी सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2000) 2 एससीसी 636।

16. यह प्रस्तुत किया गया कि आज तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जीएमआईडी ने उसी भूमि पर 400 से अधिक इकाइयों के आवासीय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विकसित किए थे, जिस पर शिकायतकर्ता के परिवार ने कई अवसरों पर स्वामित्व का दावा करने का असफल प्रयास किया था, और एफआईआर एक उपकरण के रूप में नियोजित एक कष्टप्रद कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता को अपीलकर्ता को अनुचित प्रयासों के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करना। यह प्रचारित किया गया कि 2010 में, शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों ने मुकदमे की संपत्ति के मालिकाना हक की घोषणा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसे 2016 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता के बेटों ने 2016 में एक नया मुकदमा दायर किया और एक मुकदमा भी दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलकर्ता को विचाराधीन भूमि पर प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया जाए। ऐसा कहा गया है कि उक्त मुकदमा बिना किसी अंतरिम आदेश के लंबित है।

17. विद्वान वकील ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों ने शुरू में 2006 में मुकदमे की संपत्ति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, जिसके कारण मूल भूमि मालिकों ने 2008 में एक सिविल मुकदमा शुरू किया था, जिसमें वास्तव में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ फैसला सुनाया गया।

18. यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ अपीलकर्ता ने जेडीए पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने 1954-1955 में विषय-संपत्ति खरीदी थी और उसके बाद, उन्हें 09.07.1961 को भूमि का अधिभोग अधिकार मिला, और केवल में 2017, वर्तमान

आपराधिक विवाद शिकायतकर्ता और/या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

प्रतिवादी संख्या- 2 की प्रस्तुतियाँ /शिकायतकर्ता:

19. शिकायतकर्ता/प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील नं. 2 ने प्रस्तुत किया कि अपील गलत है क्योंकि पुलिस जांच के बीच में थी जिसे पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और इसके तहत संरक्षित है। विद्वान वकील ने एफआईआर में एससी/ एसटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिन अतिरिक्त दस्तावेजों को वर्तमान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मांग की गई थी, वे उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों का हिस्सा नहीं थे और इस प्रकार, उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि यह इस मामले में नए तथ्य पेश करने जैसा होगा। यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 482 में अदालत को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या शिकायत से कोई संज्ञेय अपराध बनता है, जो वर्तमान मामले में बनता है।

20. यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि विशिष्ट आरोप धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अतिचार से संबंधित हैं, आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध हैं, और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित संपत्ति से संबंधित एससी / एसटी के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे। यह दोहराया गया कि विचाराधीन संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 की है। और उसके परिवार के सदस्यों, और विषय-भूमि पर कोई भी निर्माण फर्जी दस्तावेज बनाकर किया गया है।

21. तब यह तर्क दिया गया कि अदालत को जांच में हस्तक्षेप करने और एफआईआर को रद्द करने में अत्यधिक सतर्क रहना होगा। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों और साथ में दिए गए पैराग्राफों पर भरोसा किया:

- i. मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र कोरी, (2012) 10 एससीसी 155 @ पैरा 14 और 16।
- ii. दिनेशभाई चंदूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2018) 3 एससीसी 104 @ पारस 30-31
- iii. सतविंदर कौर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (1999) 8 एससीसी 728 @ पैरा 16

iv पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 @ पैरा 61, 64-67

v स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 5 एससीसी 795 @ पैरा 41

vi. भारत संघ बनाम प्रकाश पी हिंदुजा, (2003) 6 एससीसी 195 @ पैरा 20

22. इसके अलावा, यह कहते हुए कि एफआईआर को एक विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कथित या शिकायत किए गए अपराध के सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा होना चाहिए, विद्वान वकील ने पुलिस अधीक्षक, सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह, (2003) पर भरोसा किया।) 6 एससीसी 175 (पैरा 20 पर) और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एससीसी 324 (पैरा 32 पर)।

प्रतिवादी संख्या 1/राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:

23. राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि इस मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं जिन पर यह न्यायालय विचार नहीं करेगा। दलील दी गई कि मामले की जांच पुलिस पर छोड़ दी जाए। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनेशभाई चंदूभाई पटेल (सुप्रा) ने माना है कि अपराध की जांच करना जांच अधिकारी का कर्तव्य है, और उच्च न्यायालय को जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना है।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

24. मामले पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि हस्तक्षेप का मामला बनता है। ध्यान देने योग्य बुनियादी तथ्य हैं: (ए) कि जिन भूमि मालिकों के साथ जीएमआईडी ने जेडीए में प्रवेश किया था, उन्होंने 1954-1955 में जमीन खरीदी थी, और; (बी) 09.07.1961 को अधिभोग अधिकार भी मूल भूमि-मालिकों के पक्ष में बनाए गए थे। तब से, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्राधिकरण के समक्ष कोई विवाद नहीं उठाया गया और वर्ष 2009 में मूल भूमि मालिकों के साथ जेडीए में प्रवेश करने के बाद ही जीएमआईडी ने अधिकारियों से उनके पक्ष में सभी मंजूरी प्राप्त की, निर्माण कार्य शुरू किया और निर्माण किया। 400 से अधिक संख्या वाले अपार्टमेंट, वर्ष 2017 में खरीदारों/आवंटियों को बेच दिए, क्या वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ। यह अपने आप में सद्भावना की कमी को दर्शाता है। हमने इस बात पर विचार किया है कि शिकायतकर्ता

और उसके परिवार के सदस्य, यदि जमीन उनकी थी, तो लंबे समय तक बाड़-सीटर के रूप में क्यों बैठे रहेंगे।

25. इसके अलावा, जब एक नागरिक मुकदमा शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों को कोई राहत नहीं दिए जाने के कारण अंतिम रूप ले चुका था, तब एक और नागरिक मुकदमा वर्ष 2016 में दायर किया गया था और उसमें भी, जब शिकायतकर्ता/उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई अंतरिम आदेश सुरक्षित नहीं किया जा सका था। , वर्तमान शिकायत दर्ज कर ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर हुई है। हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से दुर्भावना बहुत बड़ी प्रतीत होती है।

26. यद्यपि हम अपने निर्णयों में शब्दांडंबर के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी न्यायिक उदाहरणों का थोड़ा विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335 में, इस न्यायालय ने कहा:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जिस संहिता को हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में ।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है । .

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। (6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संहिता या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

103. हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा की जांच शुरू करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को उसके अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। यह सनक या सनक है।” (जोर दिया गया)

27. इस न्यायालय ने एसडब्ल्यू पलानीटकर बनाम बिहार राज्य, (2002) 1 एससीसी 24 में कहा:

“...जबकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उस उद्देश्य और आशय को देखना होगा जिसके लिए उक्त प्रावधान के तहत उसे ऐसी

शक्ति प्रदान की गई है। सीआरपीसी के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने , या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उपलब्ध है। यह स्थिति होने के कारण, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग उपरोक्त निर्णयों के आलोक में इसके दायरे और दायरे के अनुरूप होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, न्यायिक प्रक्रिया को निराश या प्रतिशोधी वादियों के हाथों में उत्पीड़न या उत्पीड़न का साधन बनने से रोकने के लिए, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है, ताकि अदालत के न्यायिक मंच को किसी भी तरह की अनुमति न दी जा सके। किसी भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रक्रिया के मुद्दे को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है , तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उच्च न्यायालय को उपर बताए गए अनुसार सावधानी के साथ शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि वास्तव में उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसके लिए वे हैं। प्रदान किये जाते हैं।” (जोर दिया गया)

28. कर्नाटक राज्य बनाम एम देवेन्द्रप्पा, (2002) 3 एससीसी 89 में, यह निर्णय लिया गया था:

“6. इस प्रकृति के मामले में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के लागू होने से पहले न्यायालय के पास थी । इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए , (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा सुरक्षित करने के लिए। न्याय। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम संभवतः उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है। इसलिए, अदालतों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस अनुभाग में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल पहचानता है और संरक्षित करता है उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ। सभी अदालतें, चाहे दीवानी हों या फौजदारी, अपने संविधान में निहित

किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसी सभी शक्तियाँ रखती हैं जो न्याय प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को ठीक करने के लिए आवश्यक हैं, सिद्धांत के आधार पर। एलिकुई कॉन्सेडिट, कॉन्सेडेरे विडेटर एट आईडी साइन क्वो रेस आईपीएसए एसे नॉन पोटेस्ट (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है तो यह उसे वह देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता)। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, अदालत अपील या पुनरीक्षण अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो। इसका प्रयोग पूर्व डेबिटो जस्टिटिया के प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालतें मौजूद हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्यवाही की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे पता चलता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा न्याय की प्राप्ति होगी। जब शिकायत से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है। (जोर दिया गया)

29. उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य, (2005) 10 एससीसी 336 में, पैरा 7 में, यह माना गया था कि जब शिकायत किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करने में विफल रहती है, तो कार्यवाही संहिता की धारा 482 के तहत रद्द की जा सकती है। :

"हमारे विचार में शिकायत की याचिका किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है, धारा 420 या धारा 120-बी आईपीसी के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है और वर्तमान मामला पार्टियों के बीच पूरी तरह से नागरिक विवाद का मामला है जिसके लिए उपचार एक नागरिक के समक्ष निहित है। उचित रूप से गठित मुकदमा दायर करके अदालत। हमारी राय में, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच को

जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इसे रद्द करना उचित और समीचीन था। कोड जिसे उसने ग़लती से अस्वीकार कर दिया है।” (जोर दिया गया)

30. इस विषय पर कानून की जांच परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641 में भी की गई थी। हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779 में, यह राय दी गई थी:

“एफआईआर को रद्द करने के मामले में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और जब और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग विशेष रूप से प्रावधान में निर्धारित परीक्षण द्वारा उचित हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। सीआरपीसी बहुत व्यापक है लेकिन यह बताने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है।” (जोर दिया गया)

31. विनोद नटेशन बनाम केरल राज्य, (2019) 2 एससीसी 401 में, इस न्यायालय ने यहां उल्लिखित स्थिति ली:

“11। ... अन्यथा, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, हम इस बात से अधिक संतुष्ट हैं कि आरोपी की ओर से कोई आपराधिकता नहीं थी और एक नागरिक विवाद को आपराधिक विवाद में बदलने की कोशिश की गई है। इस प्रकार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का सही प्रयोग किया है और आपराधिक कार्यवाही को सही ढंग से रद्द कर दिया है। उपरोक्त के मददेनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।” (जोर दिया गया)

32. कमल शिवाजी पोकरणेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 14 एससीसी 350 में भी कानूनी स्थिति पर विचार किया गया था। महेंद्र केसी बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1021 में, इस न्यायालय ने कहा:

“23. ... उच्च न्यायालय को दूसरे प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ स्थापित एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित दो परीक्षण लागू करने चाहिए थे: i) क्या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं; और ii) क्या आरोप इतने अविश्वसनीय हैं कि कोई विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।

33. हम अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 2 एससीसी 427 के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं, जहां पैराग्राफ 68 में कहा गया था कि "... स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है: धारा 482 द्वारा मान्यता प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा उपाय है।" हम इस टिप्पणी के साथ एक हैं। निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में कानून की एक विस्तृत व्याख्या भी आने वाली है। लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315, जिसे हमने तत्काल लिस का फैसला करते समय ध्यान में रखा है।

34. जहां तक एससी/ एसटी अधिनियम से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप का सवाल है, हम केवल यह बता सकते हैं कि रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 966 मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष कानून' के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या संहिता की धारा 482 के तहत नीचे दिए गए शब्दों में अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा:

“15. आमतौर पर, एससी/ एसटी अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से उत्पन्न अपराधों से निपटते समय, न्यायालय अपने दृष्टिकोण में बेहद सतर्क होगा। एससी/ एसटी अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमान, अपमान और उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। एससी/ एसटी अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता की भी पहचान है कि कई उपाय करने के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऊंची जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों का शिकार होना पड़ रहा है। न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि एससी/ एसटी अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में उल्लिखित स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, इन कमजोर वर्ग के

सदस्यों की सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है। समुदायों के साथ-साथ जाति-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना।

16. दूसरी ओर, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, हालांकि एससी/ एसटी अधिनियम के तहत आता है, मुख्य रूप से नागरिक या निजी है, जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, अदालत कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसी तरह, समझौते/समझौते के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि एससी/ एसटी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या कम नहीं किया जाएगा, भले ही प्रश्न में गुंडागर्दी न हो, तो केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष कानून' के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा" (जोर दिया गया)

35. हमने उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत उदाहरणों पर उत्सुकता से विचार किया है और हमारा विचार है कि वे यहां तथ्यात्मक परिदृश्य के लिए अनुपयुक्त हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि हालांकि उसमें दिए गए प्रस्ताव विवादित नहीं हैं, लेकिन वे वर्तमान अपीलकर्ता के संस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। तपन कुमार सिंह (सुप्रा) और नरेश (सुप्रा) ने संकेत दिया कि एफआईआर को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए है और पुलिस को आमतौर पर जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सामान्य नियम है, लेकिन किसी उपयुक्त मामले में इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पर कोई बंधन नहीं है।

36. मौजूदा मामले-कानून से जो स्पष्ट है वह यह है कि यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने में लगातार रहा है जहां विशुद्ध रूप से नागरिक विवादों, अक्सर भूमि और/या धन से संबंधित को केवल आपराधिकता का रंग दिया जाता है। संबंधित पक्ष पर अतिरिक्त-न्यायिक दबाव डालने का उद्देश्य, जिसे हम दोहराते हैं, अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रश्न में भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद शुरू करने में 60 साल से अधिक की भारी, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से अस्पष्ट देरी हुई है, और आपराधिक मामला केवल सिविल में राहत प्राप्त करने में विफलता के बाद दर्ज किया गया है। मुकदमे, प्रतिवादी नंबर 2/उसके परिवार के सदस्यों को अंतरिम राहत से इनकार करने के साथ। यह स्पष्ट है कि अब आपराधिक कार्यवाही का सहारा

लिया जा रहा है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में, गुप्त उद्देश्यों के साथ, परोक्ष कारणों से है और प्रतिशोध का एक स्पष्ट मामला है।

37. न्यायालय यह भी नोट करेगा कि भले ही आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर सत्य माना जाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एससी/ एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। शिकायत और एफआईआर तुच्छ, परेशान करने वाली और दमनकारी है।

38. यह न्यायालय संकेत देगा कि जो अधिकारी किसी भी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हैं, वे एससी/ एसटी अधिनियम जैसे किसी भी सख्त कानून के प्रावधान को लागू करने से पहले सतर्क रहने के लिए बाध्य हैं, जो गंभीर दंडात्मक परिणाम लगाता है। संबंधित आरोपी. अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि जिन प्रावधानों को वह लागू करना चाहता है वे प्रथम दृष्टया मामले पर लागू होते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारी टिप्पणियाँ, किसी भी तरह से, विशेष/कड़े कानूनों की प्रयोज्यता को कमजोर करने के लिए नहीं हैं, बल्कि केवल पुलिस को यह याद दिलाने के लिए हैं कि कानून को यांत्रिक रूप से लागू न करें, तथ्यात्मक स्थिति का हवाला देते हुए।

39. उपरोक्त कारणों से, न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करने में गलती की। तदनुसार, विवादित निर्णय, कानून की दृष्टि से अस्थिर होने के कारण, रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, एफआईआर और उससे होने वाली कोई भी कार्यवाही, जहां तक वे अपीलकर्ता से संबंधित हैं, रद्द कर दी जाती है और अलग कर दी जाती है।

40. तदनुसार, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना, यह अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदनों को रिकार्ड में दर्ज किया जाता है।

अपील स्वीकृत

दिव्या पांडेय

द्वारा संपादित : मयंक बत्रा, एल0 सी0 आर0 ए0